राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.05.99/ 6783-96 दिनांकः– 28 JUL 2022

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(2)प्र.सु/अनु–3/2022 दिनांक 13.07.2022 द्वारा इस विभाग को आवंटित निम्नांकित अभ्यर्थियों को; राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानान्तर्गत शीघ्रलिपिक के पद पर 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 23,700/– प्रतिमाह एवम् परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त विद्यमान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–10 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में शीघ्रलिपिक के रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है :–

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नं.	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	चयन श्रेणी	पदस्थापन स्थान
1.	103	107568	श्री विनोद कुमार	श्री लक्ष्मण राम	09.07.1993	OBC	GEN	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर
2.	592	168696	श्री शंकर लाल कुमावत	श्री ग्यारसी लाल कुमावत	15.08.1995	OBC	OBC	कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
3.	1263	115961	श्री लोकेश मीणा	श्री सीताराम मीणा	15.07.2000	ST	ST	कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
4.	2276	177882	श्री सागर दुलारा	श्री दयाराम दुलारा	03.07.1997	SC	SC	कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5.	4337	101059	श्री शिम्भू सिंह	श्री सुरेन्द्र सिंह	01.10.2000	GEN, LDCP	GEN	कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

1. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों तथा कार्मिक/वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/ दिशा–निर्देशों के अधीन रहेगी।
2. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार सम्भालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
3. अभ्यर्थियों को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करते समय निम्नलिखित शपथ–पत्र /प्रमाण–पत्र/वचन बद्धता कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करने होगें :–

कृ.प.उ......

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर–302004
EPBX No. 2560838, 2560963
Fax No. 0141-2563702, 2560985
Office e-mail : ctp-rj@nic.in
Website : www.ctp.rajasthan.gov.in

(i) शैक्षणिक योग्यता (माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा सहित अन्य उच्च योग्यता), प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर सम्बन्धी) तथा जन्म–तिथि/मूल निवास/जाति सम्बन्धी एक–एक स्वयं–सत्यापित प्रतिलिपियाँ।

(ii) विवाहित होने की स्थिति में विवाह सम्बन्धी शपथ–पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने का शपथ–पत्र तथा पिता, श्वसुर एवम् पत्नी द्वारा हस्ताक्षरित दहेज ना लेने/ना देने सम्बन्धी शपथ–पत्र, अथवा अविवाहित होने की स्थिति में विवाहोपरान्त दहेज ना लेने/ना देने सम्बन्धी पृथक–पृथक शपथ–पत्र।

(iii) धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने के सम्बन्ध में वचन बद्धता (Under Taking)।

(iv) दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान नियत पारिश्रमिक पर कार्य करने की सहमति संबंधी वचन बद्धता (Under Taking)।

(v) आचरण के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट। यदि अभ्यर्थी कार्यग्रहण के समय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे कार्यग्रहण की तिथि से 15 दिवस में आवश्यक रूप से पुलिस सत्यापन रिपोर्ट कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। किसी अभ्यर्थी की पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर विभाग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

(vi) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (फोटोयुक्त), जो जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अथवा उससे उच्च अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/ प्रतिहस्ताक्षरित हो।

(vii) अन्तिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।

(viii) दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र, जो छह माह से अधिक पुराने न हों एवं आवेदक के रिश्तेदार न हों।

4. परिवीक्षा अवधि (Probation Period) 2 वर्ष की होगी एवं इस अवधि में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

5. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो चयनित अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

7. उपरोक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, परिवीक्षा अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवम् राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

8. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण शीघ्रलिपिक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–10 में किया जायेगा, एवम् उस पर अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

9. इस विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता, उनके मेरिट क्रम के अनुसार रहेगी।

10. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
11. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
12. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, उनके पदस्थापन स्थान पर शीघ्रलिपिक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
13. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजस्थान सरकार की नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत है, उन्हें पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त होना आवश्यक होगा।
14. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजस्थान सरकार की नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत है, उन्हें पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण के समय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

28/07/2022

(आर.के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.05.99/ 6783-98 दिनांकः– 28 JUL 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र प. 2(2)प्र.सु./अनु–3/2022 दिनांक 13.07.2022 के क्रम में।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर/अजमेर।
5. मुख्य लेखाधिकार मुख्यालय, जयपुर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सम्बन्धित श्री..........................
9. निजी पत्रावली संधारण लिपिक।
10. रक्षित पत्रावली।

28/7/22

(अंकुर दाधीच)
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।

D:\local disk (D)\Yr 2022\ADM2022\Apptt\LDC-Steno\orders.doc26
कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर–302004
EPBX No. 2560838, 2560963
Fax No. 0141-2563702, 2560985
Office e-mail : ctp-rj@nic.in
Website : www.ctp.rajasthan.gov.in